

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला स्थापना शाखा)

संचिका संख्या - 57-17/15 पत्रांक 124/स्था. दिनांक 08/02/2017

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा ।

सेवा में,

विद्युत कार्यपालक अभियंता,
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिहारशरीफ ।

विषय :- कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका पत्रांक 2699 दिनांक 23.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रसांगिक पत्र से कम्प्युटर कार्य सम्पादन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध 02 कार्यपालक सहायकों की अधियाचना की गई है । उक्त अधियाचना के आलोक में जिला में संधारित कार्यपालक सहायक के पैन्ल से रोस्टर बिन्दु के अनुसार निम्नांकित कार्यपालक सहायक का नाम अग्रेतर कार्रवाई हेतु निम्न प्रकार भेजा जाता है :-

| क्र० | रोस्टर बिन्दु | आरक्षण कोटि | कार्यपालक सहायक का नाम का नाम | अभ्यर्थी का कोटि | पिता का नाम | जन्म तिथि | आवसीय पता | मोबाईल नं० |
|------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 1 | 496 | पि०व० | गौतम कुमार | पि०व० | उमेश प्रसाद | 22.08.1993 | ग्राम- बीच बाजार हरनौत, पो०+थाना- हरनौत जिला- नालन्दा | 9128201948 |
| 2 | 497 | अनारक्षित महिला | प्रीति कुमारी | पि०व० महिला | मुनेश्वर प्रसाद | 05.07.1988 | ग्राम-राजापुर इन्दौल, पो०-नेगदारगंज, थाना-अकबरपुर जिला- नवादा | 9155764588 |

अतः निम्नांकित शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन पत्र अपने स्तर से निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे ।

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा । कम्प्युटर हाईवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्युटर हाईवेयर लाना होगा ।
क - डेस्क टॉप, ख - एक पिंटर,
ग - एक यू० पी० एस०, घ - इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
- कम्प्युटर हाईवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी ।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी । नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये सविदा रद्द कर दिया जाएगा ।


ई-मेल :- dm-nalanda.bih@nic.in

दूरभाष सं० :- 06112-235204(R), 235203(O)

फैक्स सं० :- 06112-235205(R), 236854(O)

जिला वेबसाईट :- http://nalanda.bih.nic.in

5. नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर, पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध इण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी।
6. संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
7. योगदान के साथ अतिरिक्त शैक्षिक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्त को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा।
8. शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
9. नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।
10. नियोजन अविध पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा। ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने पर संविदा स्वतः रद्द हो जायेगी। इसके लिए कोई अलग से पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा एवं जिला में संघारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रिक्ति स्थान पर नियोजन की प्रक्रिया की जायेगी।

विश्वसिभाजन

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ

(जिला स्थापना शाखा)

सचिका संख्या 57-17/15 ज्ञापांक/स्था0,

दिनांक/2017

-: आदेश :-

प्रधान सचिव-सह मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक 31 दिनांक 12.01.2017 के आलोक में जिला गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय, बिहारशरीफ में ई-कमान योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला में संघारित कार्यपालक सहायक के पैनल से रोस्टर बिन्दु अनुसार निम्नलिखित कार्यपालक सहायक का नियोजन एवं पदस्थापन किया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे अपने पदस्थापन कार्यालय में अपना योगदान अविलंब देना सुनिश्चित करेंगे।

| क्र 0 | रोस्टर बिन्दु | आरक्षण कोटि | कार्यपालक सहायक का नाम | पिता/पति का नाम | पता एवं मोबाईल नं0 | कोटि | जन्म तिथि | पदस्थापन कार्यालय का नाम |
|-------|---------------|-------------|------------------------|-----------------|---|-------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 498 | अनु0 जाति | कुमार गौरव नाथ | राम सुरत प्रसाद | मो0- सोहसराय ब्रीच बाजार पो0-धाना- सोहसराय जिला- नालन्दा मो0 नं0- 9304582878 | पि010 | 28.06.1989 | जिला गृह रक्षा वाहिनी, बिहारशरीफ, नालन्दा |

नियोजन के लिए शर्तें :-

- उपरोक्त नियोजित कार्यपालक सहायक को प्रति माह 11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैतालीस) रुपये मानदेय के रूप में भुगतान किया जाएगा। कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को अपने साथ निम्नलिखित कम्प्यूटर हार्डवेयर लाना होगा।
क - डेस्क टॉप, ख- एक प्रिंटर,
ग- एक यू0 पी0 एस0, ध- इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
- कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
- यह नियोजन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए अथवा यदि विभाग के द्वारा पहले समाप्त किया जाता है तब उस अवधि के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार बढ़ायी जा सकेगी। नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा किये गये कार्यों का मोनिटरिंग के पश्चात कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में बिना कारण बताये संविदा रद्द कर दिया जाएगा।
- नियोजित कार्यपालक सहायकों द्वारा नियोजित पद से त्याग करने की स्थिति में उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी। निर्धारित समय के अन्दर पद त्याग करने की स्थिति में त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी, अथवा एक माह का मानदेय भुगतान रोक ली जायेगी।
- संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक का सरकारी सेवा हेतु किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- योगदान के साथ असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दो फोटो तथा नियोजन की शर्तों को मानने संबंधी एकरारनामा पदस्थापित कार्यालय में समर्पित करना होगा।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र पदस्थापित कार्यालय द्वारा संबंधित संस्थान/कार्यालय से सत्यापन कराने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- नियोजित कार्यपालक सहायक को पत्र प्राप्ति के साथ अविलम्ब योगदान देना होगा। अन्यथा उनकी संविदा रद्द कर दी जायेगी।
- नियोजन अविधि पूर्ण होने से एक माह पूर्व संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नियोजित कार्यपालक सहायक का कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन एवं कार्य अवधि विस्तार की अनुशंसा भेजना अनिवार्य होगा। ससमय अनुशंसा प्राप्त नहीं होने

